**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1221**

**दिनांक 16 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए**

**पुनर्गठित आई सी डी एस का क्रियान्वयन**

**1221. श्री परिमल नथवानी:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या समेकित बाल विकास सेवा (आई सी डी एस) योजना के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) : राज्यों में, विशेषकर झारखण्ड में, पुनर्गठित (आई.सी.डी.एस.) को किस तरह से क्रियान्वित किया जायेगा?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

**(क) और (ख) : जी, हां ।** विभिन्‍न कार्यक्रमगत, प्रबंधकीय और संस्‍थागत कमियों पर ध्‍यान देने तथा प्रशासनिक और प्रचालनात्‍मक चुनौतियों से निपटने के लिए, सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1,23,580 करोड़ रूपये के समग्र बजट आबंटन से आईसीडीएस स्‍कीम के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन के प्रस्‍ताव को अनुमोदन प्रदान किया था। इस संबंध में सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को प्रशासनिक अनुमोदन जारी कर दिए गए हैं।

पुनर्गठित और सुदृढ़ीकृत आईसीडीएस स्‍कीम की शुरूआत निम्‍नलिखित सारणी के अनुसार की जाती है:

(क) पहले वर्ष (2012-13) में 200 अत्‍यधिक प्रभावित जिलों में;

(ख) दूसरे वर्ष (2013-14) में (अर्थात 1.4.2013 से) विशेष श्रेणी वाले राज्‍यों और पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के जिलों सहित 200 अतिरिक्‍त जिलों में पहले ही शुरू किया जा चुका है;

(ग) तीसरे वर्ष (2014-15) अर्थात 1.04.2014 से शेष जिलों में ।

 सुदृढ़ीकृत और पुनर्गठित आईसीडीएस स्‍कीम की प्रमुख विशेषताओं में अन्‍यों के साथ-साथ निम्‍नलिखित के जरिए कमियों को दूर करना एवं चुनौतियों का सामना करना शामिल हैं (क) 3 वर्ष से कम उम्र के बच्‍चों और गर्भवती तथा धात्री माताओं (पी एंड एल) पर विशेष ध्‍यान देना, (ख) देखरेख और पोषण संबंधी परामर्श सेवाओं तथा गंभीर रूप से अल्‍पवजनी बच्‍चों की देखरेख सहित सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और पुन: पैकेजिंग, (ग) लिंक वर्कर, 5 प्रतिशत क्रेच सह आंगनवाड़ी केंद्र के लिए प्रावधान के अतिरिक्‍त 3 वर्ष से कम आयु के बच्‍चों पर ध्‍यान केंद्रित करने के लिए और देशभर के चयनित 200 अधिक प्रभावित जिलों में गर्भवती और धात्री माताओं के लिए परिवार सम्‍पर्क, देखरेख और पोषण परामर्श में सुधार के लिए एक अतिरिक्‍त आंगनवाड़ी कार्यकत्री सह पोषण परामर्शदाता का प्रावधान, (घ) शुरूआती बाल्‍यावस्‍था देखरेख (ईसीसीई) पर ध्‍यान देना, (ड.) विशेष रूप से जिला, ब्‍लॉक और ग्राम के स्‍तरों पर सशक्‍त संस्‍थागत और कार्यक्रमगत समभिरूपता विकसित करना, (च) सामुदायिक भागीदारी के लिए स्‍थानीय स्‍तरों पर लोच प्रदान करने वाले मॉडल, (छ) एपीआईपी की शुरूआत, (ज) लागत संशोधन सहित पूरक पोषण कार्यक्रम में सुधार, (झ) आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण और सुधार के लिए प्रावधान, (ञ) मानीटरन और प्रबंधन एवं सूचना तंत्र (एमआईएस) प्रशिक्षण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग सहित अन्‍य घटकों के लिए पर्याप्‍त वित्‍तीय संसाधनों का आबंटन (ट) आईसीडीएस को मिशन मोड में रखना, और (ठ) वित्‍तीय मानकों में संशोधन आदि।

जहां तक, झारखण्‍ड का संबंध है, यह पहले वर्ष (2012-13) में छत्रा,धनबाद,दुमका, गिरिडीह, कोडेर्मा तथा पश्‍चिम सिंहभूम नामक 6 जिलों में तथा दूसरे वर्ष (2013-14) (अर्थात 01.04.2013 से) में बोकारो, हजारीबाग, गुमला, पूर्बी-सिंघभूम, पालामू तथा पाकौर नामक 6 जिलों में शुरू किया गया है । पुनर्गठित आईसीडीएस झारखण्‍ड राज्‍य सहित देश के शेष जिलों में 1.04.2014 से शुरू की जाएगी ।

\*\*\*\*\*